| आदेश की तिथि | हस्ताक्षरयुक्त आदेश | कार्यालय अभ्युक्ति |
|---|---|---|
| 15.06.2023 | वाद संख्या–12/2023<br><br>अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्रीमती चैती मिंज एवं अन्य, ग्राम–बिन्जपुर, पंचायत–टेहरी, प्रखण्ड–बरगड़, जिला–गढ़वा उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा उपस्थित। आज की सुनवाई Telephonic conference के माध्यम से की गई।<br><br>आयोग के पिछले आदेश के आलोक में शिकायतकर्ता को राशन उपलब्ध करा दिया गया है। Telephonic conference के माध्यम से हुई सुनवाई में शिकायतकर्ता ने भी स्वीकार किया है कि उन्हें राशन उपलब्ध करा दिया गया। आयोग के आदेश का अनुपालन हो जाने के उपरांत आयोग इस वाद को निष्पादित करता है।<br><br>आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें।<br><br>19.6.23<br>(शबनम परवीन)<br>सदस्य,<br>राज्य खाद्य आयोग, राँची।<br><br>19/06/2023<br>(हिमांशु शेखर चौधरी)<br>अध्यक्ष,<br>राज्य खाद्य आयोग, राँची।<br><br>E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx79 | |